नीति-निदेशक तत्वों का इतिहास
(History of Directive Principles)

☞ भारतीय संविधान में नीति-निदेशक तत्त्वों का विकास मूल अधिकारों के विकास के साथ ही हो गया था। संविधान सभा के सदस्यों में इस बात पर सहमति बन गई थी कि स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार तो दिये ही जाने चाहिये, साथ ही राज्य ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी की जानी चाहिये जो सामाजिक न्याय के लिये वांछनीय हैं। इन सिद्धांतों को मूल अधिकारों के रूप में दिया जाना तत्कालीन परिस्थितियों में संभव नहीं था। ऐसे अधिकार, जिन्हें तत्काल देना संभव नहीं था, बी.एन. राव की सलाह पर नीति-निदेशक तत्त्वों की श्रेणी में रख दिये गए, ताकि जब सरकारें समक्ष हो जाएँ तब धीरे-धीरे इन उपबंधों को लागू करें। इन्हीं उपबंधों को संविधान के भाग 4 में रखा गया तथा राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत नाम दिया गया।

☞ संविधान के भाग 4 को राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व (डी. पी. एस.पी.) शीर्षक दिया गया है। इसके अंतर्गत 36 से 51 तक के अनुच्छेद शामिल हैं। संविधान का यह भाग आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। इसके माधयम से संविधान राज्य को बताता है कि उसे सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिये नैतिक दृष्टि से किन पक्षों पर बल देना चाहिये।

निदेशक तत्त्वों का महत्व
(Importance of Directive Principles)

- 'लोक-कल्याणकारी राज्य' की स्थापना
- आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना।
- भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार: अधिकांश योजनाएँ इससे प्रेरित हैं।
- इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है।
- जब कभी न्यायपालिका के सम्मुख कोई संवैधानिक कठिनाई उत्पन्न हुई है, न्यायपालिका ने संविधाानन की प्रस्तावना तथा राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों को धयान में रखकर संविधान को समझने का प्रयास किया है।

राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत
(Directive principles of state policy)

- **अनुच्छेद 36:-** नीति-निदेशक तत्त्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। इसमें भी राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है।
- **अनुच्छेद 37:-** इस भाग में दिये गए तत्त्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्त्तव्य होगा।
- **अनुच्छेद 38:-** राज्य लोग-कल्याण की अभिवृद्धि के लिये सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके।

☞ 42 वें संविधान संशोधन, 1976 के माध्यम से नीति-निदेशक तत्त्वों में अनुच्छेद 39 क, 43 तथा 48 को अंत: स्थापित किया गया।

- **अनुच्छेद 38 (2) :-** आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना।
- **अनुच्छेद 39:-** राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति-निदेशक तत्त्व-
  - (क) पुरुषों व स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार।
  - (ख) समाज में भौतिक संशाधनों के स्वामित्व का उचित वितरण।
  - (ग) अर्थव्यवस्था में धान तथा उत्पादन के साधनों के अहितकारी कंद्रीकरण का निषेध।
  - (घ) पुरुषों व स्त्रियों दोनों के लिये समान कार्य के लिये समान वेतन।
  - (ड़) पुरुषों व स्त्री श्रमिकों तथा बच्चों को मजबूरी में आयू या शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना।
  - (च) बच्चों को स्वतंत्र और गरिमा के साथ विकाश का अवसर प्रदान करना और शोषण से बचाना।
- **अनुच्छेद 39 क (समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता):-** राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधि तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधाार पर न्याय सुलभ हो तथा आर्थिक या किसी भी अन्य आधाार पर नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाएँ। यह विधिक सहायकता नि:शुल्क होगी।
- **अनुच्छेद 40 क (ग्राम पंचायतों का गठन):-** राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिये कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हों।

- **अनुच्छेद 41 (कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक-सहायता पाने का अधिकार):-** राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नि:शक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक-सहायता पाने के अधिकार का प्रभावी उपबंध करेगा।
- **अनुच्छेद 42 :-** काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
- **अनुच्छेद 43 :-** कर्मकारों के लिये निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर व अवकाश की व्यवस्था करना और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना।
- **अनुच्छेद 43 क :-** राज्य उद्यागों में लगे उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त विधाान बनाएगा।
- **अनुच्छेद 43 ख :-** सहकारी समितियों का उन्नयन: सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधान को प्रोत्साहित करना।

सहकारी समितियाँ

वर्ष 2011 का 9वाँ संविधान संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है। इस विधेयक के पारित होने के उपरांत संविधान में निम्नलिखित तीन बदलाव हुए-

- ☞ इसने सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया।
- ☞ सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिये इसने एक नए राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत को जोड़ा।
- ☞ यह अनुच्छेद 43ख में होगा ।
- ☞ इसने संविधान में एक नया खंड 9 ख जोड़ा जिसका नाम सहकारी समितियाँ रखा गया (अनुच्छेद यज से 243 यन) (243 ZH-243ZT) है।

- **अनुच्छेद 44:-** नागरिकों के लिये एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करना ।
- **अनुच्छेद 45:-** शिशुओं (प्रारंभिक शैशवावस्था) की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करना।
- **अनुच्छेद 46:-** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना और हर तरह के शोषण व सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना।
- **अनुच्छेद 47:-** लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक-स्वास्थ्य सुधार को प्राथमिक कर्त्तव्य मानना और मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना।
- **अनुच्छेद 48 (कृषि और पशुपालन का संगठन):-** कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गाय-बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करने के लिये कदम उठाना।
- **अनुच्छेद 48:-** पर्यावरण के संरक्षण व संवर्द्धन तथा वन व वन्यजीवों की रक्षा का प्रयास करना ।
- **अनुच्छेद 49:-** राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना।
- **अनुच्छेद 50 (कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण):-** राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिये कदम उठाना।
- **अनुच्छेद 51 (अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि):-** विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत व सम्मानपूर्ण संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिये प्रोत्साहन देने का प्रयास करना।

राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों का वर्गीकरण
(Classification of Directive Principles of State Policy)

राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों का संविधान में तो वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इनके व्यापक रूप को देखते हुए इन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है-

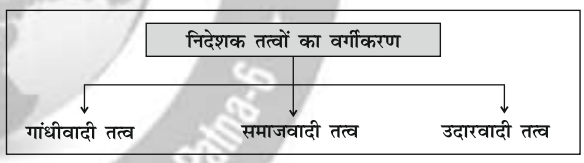

- ☞ **गांधीवादी तत्त्व:-** ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। गांधीजी के सपनों को साकार करने के लिये उनके कुछ विचारों को निदेशक तत्त्वों में शामिल किया गया है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधीजी द्वारा पुर्नस्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिन अनुच्छेदों से गांधीवादी विचारधारा का आभास होता है, वे अनुच्छेद हैं- अनुच्छेद 40, 43, 43 (ख), 46, 47 तथा 48 आदि। अनुच्छेद 40 के तहत एक प्रभावी इकाई के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन गांधीवादी सिद्धांत का एक प्रमुख उदाहरण है।
- ☞ **समाजवादी तत्त्व:-** ये लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये समाजवाद के आलोक में हैं तथा लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान कराना है। समाजवादी तत्त्व का आभास जिन अनुच्छेदों के उल्लेख से होता है, वे हैं- अनुच्छेद 38, 39, 39क, 41, 42, 43, 43क्र तथा 47 आदि।

☞ **उदारवादी तत्त्व:**- इनमें उन तत्त्वों को शामिल किया गया है जो उदारवादी विचारधारा से संबंधित हैं। वे तत्त्व जो राज्य को निर्देश देते हैं तथा जिससे उदारवादी विचारधारा का आभास होता रहे। उदारवादी विचारधारा का आभास कराने वाले अनुच्छेद हैं- अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 (क), 49, 50 तथा 51 आदि।

निदेशक तत्त्वों की आलोचना

(Criticism of Directive Principles)

- नीति निदेशक तत्त्व अक्सर विधायिका व न्यायपालिका के मध्य-विवाद/संघर्ष का कारण बन जाते हैं।
- नीति-निदेशक तत्त्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।
- इनका महत्त्व राज्य के लिये नैतिक शिक्षा की तरह है, जिससे वह निदेशित होता है, लेकिन बाध्य नहीं।
- इनको भारतीय संविधान ने मूलभूत तो घोषित किया है, लेकिन इन्हें लागू करने के साधानों को स्पष्ट नहीं किया।
- इनमें सम्मिलित कई प्रावधानों को आज भी लागू नहीं किया गया, जैसे-समान नागरिक संहिता।

नोट:- भारत में गोवा एक अकेला राज्य है, जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है।

मूल अधिकारों और नीति-निदेशक सिद्धांतों में अंतर

मूल अधिकार-

- ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिये गए हैं।
- इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में है।
- इन्हें लागू कराने के लिये न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अत: ये वाद योग्य हैं।
- ये व्यक्ति के अधिकारों के लिये हैं।
- मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी मान्यता है।
- ये सरकार के महत्त्व को घटाते हैं।
- ये अधिकार नागरिकों को स्वत: प्राप्त हो जाते हैं।
- इनका लागू होना मुख्यत: व्यक्ति की सजगता और जागरूकता पर निर्भर है।
- मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं।
- मूल अधिकारों को आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। **(अपवाद-अनुच्छेद-20 और 21)**

नीति-निदेशक सिद्धांत

- ये आयरलैंड के संविधान से लिये गए हैं।
- इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में है।
- इन्हें लागू कराने के लिये न्यायालय नहीं जाया जा सकता। अत: ये वाद योग्य नहीं हैं।
- ये समाज की भलाई के लिये हैं।
- नीति के निदेशक तत्त्वों के पीछे राजनीतिक मान्यता है।
- ये सरकार के कर्त्तव्यों को बढ़ाते हैं।
- ये अधिकार राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं।
- नीति-निदेशक सिद्धांतों को राज्य द्वारा लागू किया जाता है।
- नीति-निदेशक सिद्धांत ऐसे प्रतिबंधों से मुक्त हैं।

नीति-निदेशक तत्त्व सामान्य और आपात दोनों स्थितियों में बने रहते हैं।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. भारतीय संविधान के भाग-IV में दिये गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन-सा/से सूचीबद्ध है/हैं?

1. समान कार्य के लिये समान वेतन
2. समान नागरिक संहिता
3. छोटे परिवार का मानदंड
4. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा

(a) 1, 2 और 3 (b) 2 और 3
(c) 1 और 2 (d) 1, 2 और 4
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

2. राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है?

(a) पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिये है और उपर्युक्त राज्यों के लिये
(b) पूर्वोक्त संविधान का अंग नहीं है जबकि उपर्युक्त है।
(c) राज्य के नीति-निदेशक प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है।
(d) उपर्युक्त में कोई नहीं

3. भारतीय संविधाान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन-सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है?

(a) अनुच्छेद-32 (b) अनुच्छेद-46
(c) अनुच्छेद-40 (d) अनुच्छेद-51

4. एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है-

(a) राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में
(b) मौलिक अधिकारों के अध्याय में
(c) संविधान की सातवीं अनुसूची में
(d) किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है।

5. शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है?

(a) धारा 47 (b) धारा 37

(c) धारा 50 (d) धारा 48

6. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति के निदेशक तत्त्वों का उल्लेख है ?

(a) अनुच्छेद-34 से 46 (b) अनुच्छेद- 36 से 51

(c) अनुच्छेद-34 से 52 (d) अनुच्छेद-37 से 51

(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

7. निम्नलिखित निदेशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन-सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है?

(a) श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण।

(b) स्वशासन की प्रभावी इकाई के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन।

(c) पुरुषों और महिलाओं के लिये समान कार्य।

(d) कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक् करना।

(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

8. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिये तथा सूचियों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

सूची-I (संविधान का अनुच्छेद)	**सूची- II** (विषय)
(a) अनुच्छेद- 40	(i) ग्राम पंचायतों का गठन
(b) अनुच्छेद- 41	(ii) काम पाने का अधिकार
(c) अनुच्छेद-44	(iii) समान नागरिक संहिता
(d) अनुच्छेद-48	(iv) कृषि एवं पशुपालन का संगठन

कूट:

	A	B	C	D
(a)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(b)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)
(c)	(i)	(iii)	(iv)	(ii)
(d)	(iiii)	(ii)	(iv)	(i)

(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

9. मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों के विषय में कौन-सा कथन सही है?

(a) वे परस्पर विरोधी हैं

(b) वे एक-दूसरे के पूरक हैं

(c) दोनों में कोई अंतर नहीं है (क) वे अमान्य है।

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

❑❑❑

KHAN GLOBAL STUDIES
Khan Cold Storage Campus, Musallahpur, Patna-6
KHAN SIR